06.05.23

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। विप्रार्थी तहसीलदार सिवाना उपस्थित।
तहसीलदार सिवाना द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण की भंवरसिंह पुत्र अनोपसिंह के साथ पुश्तैनी सम्पत्ति की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख.स. 608/183 रकबा 1.2491 हेक्टेयर तथा इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख.सं. 604/203 व 606/228 कुल रकबा 4.3827 हेक्टेयर ग्राम वालीयाना तहसील सिवाना में अवस्थित है। प्रार्थीगण के पिता-पति हरीसिंह की मृत्यु उनके पिता आसूसिंह के फौत होने पर दायर नामान्तरकरण में भूलवश प्रार्थीगण की वल्दियत हरीसिंह के स्थान पर आसूसिंह दर्ज होने से राजस्व रिकार्ड में भी तदनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। जिससे प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सहकारी संस्थाओं से ऋण, अनुदान आदि सुविधाऐं नहीं ले पा रहे हैं। अतः प्रार्थीगण विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में आसूसिंह के स्थान पर हरीसिंह दुरस्त करवाने के अधिकारी है।

हमने ~~दोनों पक्षों~~ वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य - आधार कार्ड, एवं सरपंच ग्राम पंचायत सिणेर द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार वे हरीसिंह के पुत्र-पुत्री एवं पत्नी है तथा आसूसिंह हरीसिंह के पिता हैं। हरीसिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी उनकी वल्दियत आसूसिंह दर्ज है। प्रार्थीगण की बैंक पासबुक, परिवार राशनकार्ड आय प्रमाण पत्र में भी प्रार्थीगण का उल्लेख हरीसिंह के पुत्र-पुत्री-पत्नी के रूप में है। तहसीलदार सिवाना की रिपोर्ट से भी प्रार्थीगण के हरीसिंह ... पुत्र-पुत्री-पत्नी होने की पुष्टि होती है।

ऐसी सूरत में ... के राजस्व रिकार्ड में 'आसूसिंह' के स्थान पर 'हरीसिंह' दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति ~~प्रतीत~~ नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम वालीयाना तहसील सिवाना की ख.स. 608/183 रकबा 1.2491 हेक्टेयर, ख.सं. 604/203 व 606/228 कुल रकबा 4.8885 हेक्टेयर भूमि

सागर
नरेन्द्र सिंह
पुर्णसिंह
गंगासिंह
अ.नि. (मनोहरकंवर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:56:54 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के राजस्व रिकार्ड की शेष समस्त प्रविष्ठियां यथावत रखते हुए 'आसूसिंह के स्थान पर' 'हरीसिंह' दुरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। आदेश आज दिनांक 06-05-2023 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाडमेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:56:54 IST
Reason: SelfAttested